मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /8869/2015/यो/19-7477 भोपाल दिनांक 30/11/2015

आदेश

विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं में कार्यों के संपादन के लिये निविदायें आमंत्रित की जाती है। यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान में निविदाकारों के द्वारा प्रचलित एस0ओ0आर0 की दर से कम राशि पर निविदा दी रही है। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि यदि प्रदाय की गई प्रशासकीय स्वीकृति की राशि अनुबंध की जाने वाली राशि से अधिक है तो प्रशासकीय स्वीकृति की राशि को तदनुसार संशोधित किया जाये।

इस संबंध में निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी को प्रमुख अभियंता/परियोजना संचालक कार्यालय की बजट शाखा को प्रत्येक कार्य के लिये प्रशासकीय स्वीकृति की राशि, स्वीकृत अनुबंध राशि एवं कार्य पर होने वाली बचत की राशि से अवगत कराया जाना होगा। बजट शाखा के द्वारा कार्य की वर्क आई–डी निर्मित करते समय तदनुसार स्वीकृत अनुबंध राशि को प्रशासकीय स्वीकृति की राशि के रूप में डब्ल्यू0डी0डी0एफ0 में दर्ज करना होगा।

कतिपय प्रकरणों में यदि अनुबंध राशि प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक होती है तो ऐसे प्रकरणों में निविदा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये तत्काल प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होंगे। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण यदि कार्यों के भुगतान में विलंब होता है तो निविदा स्वीकृतकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

Prakash 28.11.2015
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 30/11/2015

पृ0 क्रमांक 7477/8869/2015/यो/19
प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन भोपाल।
2. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 निर्माण भवन भोपाल। (16)
3. समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
4. वित्तीय सलाहकार, लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
6. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 मध्यप्रदेश।
7. संयुक्त संचालक (वित्त) लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 भोपाल।
8. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 मध्यप्रदेश।

Prakash 28.11.2015
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

PATIL/SACHIV-ADESH-13